



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228427
CG-DL-E-23072021-228427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2689]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/ आषाढ़ 29, 1943

No. 2689]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

का.आ. 2895(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

अनुसूची में, क्रमांक 471 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
471	160एच	महाराष्ट्र राज्य में मालेगांव के निकट रारा - 60 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर चौगांव,

		कुसुम्बे, मेहरगांव, ख्वाठी, लमखानी, शेवाडे, डोंदैचा, सारंगखेडा, सांवालदे को जोड़ते हुए और शाहदाह के पास रारा -752जी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला और मालेगांव के पास रारा-60 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर और मनमाड के पास रारा-753जे के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
--	--	--

[फा. सं. एनएच-14012/4/2021-पी एंड एम(पीटी.)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण :—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 2738(अ), दिनांकित 8 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2021

S.O. 2895(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 471 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
471	160H	The Highway starting from its junction with NH-60 near Malegaon connecting to Chaugaon, Kusumbe, Mehargaon, Khwathi, Lamkhani, Shewade, Dondaicha, Sarangkhedha, Sawalde and terminating at its junction with NH-752G near Shahada and further starting from its junction with NH-60 near Malegaon and terminating at its junction with NH-753J near Manmad in the State of Maharashtra.

[F. No. NH-14012/4/2021-P&M(Pt.)]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:— The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2738(E), dated 8th July, 2021.